



# झारखण्ड गजट

## साधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 35 राँची, बुधवार

2 अग्रहायण, 1944 (श०)

23 नवम्बर, 2022 (ई०)

#### विषय-सूची

| पृष्ठ                                                                                                                                                                                            | पृष्ठ                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>भाग 1</b> —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 320-370 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।                                                                                                          | <b>भाग-4</b> —झारखण्ड अधिनियम                                                                                                                                                                             |
| <b>भाग 1-क</b> —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।                                                                                                                                        | <b>भाग-5</b> —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । |
| <b>भाग 1-ख</b> —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि। | <b>भाग-7</b> —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।                                                                                                                          |
| <b>भाग 1-ग</b> —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।                                                                                                                                            | <b>भाग-8</b> — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।                                                         |
| <b>भाग-2</b> —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा                                                                                                                                          | <b>भाग-9</b> — विज्ञापन ---                                                                                                                                                                               |
| <b>भाग-2</b> —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।                                                                                        | <b>भाग-9-क</b> —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं                                                                                                                                                         |
| <b>भाग 3</b> —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।                                                                   | <b>भाग-9-ख</b> —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>पूरक--</b> ...                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>पूरक "अ"</b> ...                                                                                                                                                                                       |

**भाग 1****नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

-----

**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**

-----

**अधिसूचना**

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं0- 10/स्था0-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री निखिल कुमार (कोटि-न्छत), पिता- श्री सुनील शर्मा, स्थायी पता-सेक्टर-2, गोलकी मोड़, खेमनीचाक, पटना, बिहार-800016 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।

7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री अभिजीत किशोर (कोटि-न्छत), पिता- श्री विजय किशोर, स्थायी पता- मंजु सदन, बड़ा पचगढ़, पो०\$जिला- साहेबगंज, झारखण्ड-816109 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल- 09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (तमसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री शुभम उपाध्याय (कोटि-न्छत्), पिता- श्री सुरेन्द्र उपाध्याय, स्थायी पता- मकान सं०-118, ग्राम-मेथौरी, पो०-मनगावाँ, जिला-रीवा, मध्यप्रदेश-486111 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

### अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री मनीष कुमार (कोटि-न्छत्), पिता- श्री संतोष कुमार बडगवे, स्थायी पता- शिवनारायण मंदिर गली, पुराना बस स्टॉप, झुमरीतिलैया, जिला-कोडरमा, झारखण्ड-825409 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०-मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।

8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री गौरव कुमार (कोटि-न्छत्), पिता- श्री नवीन कुमार, स्थायी पता- नया टोला, वार्ड नं०-22 ब्लाक रोड, नवगछिया, जिला-भागलपुर, बिहार-853204 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।

5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (तमसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं0- 10/स्था0-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री शिवाजी मिश्रा (कोटि-न्छत्), पिता- श्री प्रमोद कुमार, स्थायी पता- ग्राम+पो0-नरोत्तमपुर, तहसील महसी, जिला-बहराइच, उत्तरप्रदेश-271851 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।

2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (तमसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

### अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं0- 10/स्था0-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री विक्रम कुमार वर्णवाल (कोटि-न्छत्), पिता- अरुण कुमार वर्णवाल, स्थायी पता- मीनार कोठी के पीछे, कैस्टेयर टाउन, जिला-देवघर, झारखण्ड-814112 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।

8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं0- 10/स्था0-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री नितेश कुमार (कोटि-ठब्.प्प), पिता- श्री रमेश प्रसाद गुप्ता, स्थायी पता- बाईपास चौक के निकट, मस्जिद रोड, जिला-लातेहार, झारखण्ड-829206 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री रक्षित कुमार (कोटि-ठब्.प्प), पिता- श्री कैलाश प्रसाद मेहता, स्थायी पता- ग्राम-बरवाँ, पो०+थाना-ईचाक, जिलाझारीबाग, झारखण्ड-825402 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।

3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (तमसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित मो० आरिफ अंसारी (कोटि-ठब्.प), पिता- मो० सफीद, स्थायी पता- ग्राम- टाभाघाट, पो०+थाना-जसीडीह, जिला-देवघर, झारखण्ड-814142 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल- 09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (तमसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

### अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री संजु कुमार (कोटि-ठब्.प), पिता- श्री नारायण महतो, स्थायी पता- ग्राम-लोहापट्टी, पो०-रामनगरगढ़, थाना-महुदा, जिला-धनबाद, झारखण्ड-828305 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।

8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----

### अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री आशुतोष कुमार (कोटि-ठब्.प्प), पिता- श्री नवल किशोर यादव, स्थायी पता- ग्राम+पो०-देवबंधा, थाना-पोडैयाहाट, जिला-गोड्डा, झारखण्ड-814133 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (तमसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

### अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022-**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित मो० शहनवाज आलम (कोटि-ठब्.प), पिता- मो० एकरामुल, स्थायी पता- वार्ड नं०-17, पथलकुदुवा चर्च लेन, जिला-राँची, झारखण्ड-834001 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करना अनिवार्य होगा।

4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (तमसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री फैसल अंसारी (कोटि-ठब्.प), पिता- श्री शफीक अंसारी, स्थायी पता- ग्राम-इस्लामगंज, पो०+थाना-हैदर नगर, जिला-पलामु, झारखण्ड-822115 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----

### अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री सुमित कुमार साव (कोटि-ठब्.प), पिता- श्री चन्दन साव, स्थायी पता- कुसुम प्रिंटींग प्रेस, तेलीपाड़ा, हीरापुर, जिला-धनबाद, झारखण्ड-826001 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।

8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022**--संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री चन्दन कुमार (कोटि-ठब्.प), पिता- श्री प्रकाश राम, स्थायी पता- वार्ड न०-52, मनीटोला, थाना-डोरंडा, जिला-रांची, झारखण्ड-834002 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।

5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (तमसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री सिद्धांत कन्दुलना (कोटि-ैज), पिता- श्री जुलियन कन्दुलना, स्थायी पता- ग्राम-राणाबुरू, ब्लौक-आनन्दपुर, पो०-रायकेरा, थाना-आनन्दपुर, जिला-पश्चिमी सिंहभूम झारखण्ड-833104 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।

2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (तमसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं0- 10/स्था0-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित सुश्री जया किण्डो (कोटि-ैज), पिता- श्री बसंत किण्डो, स्थायी पता- ग्रा0- अरमाई टंगरा टोली, थाना-गुमला, जिला-गुमला, झारखण्ड-835207 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0- मैट्रिक्स

लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शक्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

### अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022**--संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय (कोटि-म् ॐ), पिता- श्री रामानुज पाण्डेय, स्थायी पता- ग्राम-डुमरी, पो०-लमीपातरा, थाना-पान्डवा, जिला-पलामू, झारखण्ड-822123 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।

8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022-**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री सुरज कुमार दास (कोटि-बै), पिता- श्री भीखी रविदास, स्थायी पता- ग्राम-सोनबाद, पो०-हेमरोडीह, थाना-धनवार, जिला-गिरिडीह, झारखण्ड-825412 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री राजेश कुमार सिंह (कोटि-म् ०९), पिता- श्री मिथिलेश कुमार सिंह स्थायी पता- ग्राम+पो०+थाना-काण्डी, जिला-गढ़वा, झारखण्ड-822120 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०-मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।

4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (तमसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## **पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री शिवाशीष दास (कोटि-बैब), पिता- श्री डी०पी० दास, स्थायी पता- मीरा कुल्ही, सामने काली मंदिर, राजगंज, जिला-धनबाद, झारखण्ड-826006 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

### अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री सुमित कुमार दास (कोटि-बै), पिता- श्री अजीत कुमार दास, स्थायी पता- ग्राम+पो०-चन्दनकियारी, (दास टोला) जिला-बोकारो, झारखण्ड-828134 को सहायक अभियंता (असैनिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।

8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (तमसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पशुपति नाथ मिश्र,  
सरकार के संयुक्त सचिव

### पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री अभिषेक कुमार (कोटि-न्छत्), पिता- श्री रामचन्द्र शास्त्री, स्थायी पता- सरस्वती विद्या मंदिर, बापू नगर, कार्मिक मंदिर के सामने, पो०-आई०एस०एम०, जिला-धनबाद, झारखण्ड-826004 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०-5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।

5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

### अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री अभिषेक सिंह (कोटि-न्छत), पिता- श्री शैलेन्द्र सिंह, स्थायी पता- आदिल नगर, कुरसी रोड, सिद्धांत पब्लिक स्कूल के निकट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

### अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री बिधान चन्द्र पाठक (कोटि-न्छत्), पिता- श्री मधुसुदन पाठक, स्थायी पता- ग्राम-धोबनी, पो०-अलकुसा, चास, जिला-बोकारो, झारखण्ड-827013 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०-मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।

8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (तमसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पशुपति नाथ मिश्र,  
सरकार के संयुक्त सचिव

### पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री प्रशांत रंजन (कोटि-न्छत्), पिता- श्री मिथिलेश कुमार झा, स्थायी पता- हबीबपुर, नयाटोला, कमला भवन के निकट, जिला-साहेबगंज, झारखण्ड-816109 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।

5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं0- 10/स्था0-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री पवन कुमार सिंह (कोटि-न्छत्), पिता- श्री अरुण कुमार सिंह स्थायी पता- ग्राम-सिंगराकला, मेदिनीनगर, जिला-पलामू, झारखण्ड-822102 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0-मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।

2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

### अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री कुमार अविनाश (कोटि-न्छत्त), पिता- श्री बिनोद कुमार, स्थायी पता- मे०-अविनाश मेडिकल हॉल, कॉलोनी रोड, ठ.जलचमए चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो, झारखण्ड-828403 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।

8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पशुपति नाथ मिश्र,  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री सतीश कुमार अग्रहरि (कोटि-न्छत्), पिता- श्री शलिक राम अग्रहरि, स्थायी पता- झंगन मंगन लेन, गणेशगंज, जिला-मिर्जापुर, उत्तरप्रदेश-231001 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।

4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पशुपति नाथ मिश्र,  
सरकार के संयुक्त सचिव

### पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं0- 10/स्था0-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री नीरज कुमार सिंह (कोटि-म् ॐ), पिता- श्री सुभाष सिंह स्थायी पता- ग्राम-सिरमा, जिलाझारीबाग, झारखण्ड-825406 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0- मैट्रिक्स लेवल-09)

में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----

### अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022**--संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री आमिर सोहेल (कोटि-ठब्.प), पिता- मो० हुसैन, स्थायी पता- ग्राम+पो०-राजापुर कोलखीपाड़ा, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़, झारखण्ड-814111 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।

8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पशुपति नाथ मिश्र,  
सरकार के संयुक्त सचिव

## पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

-----  
अधिसूचना

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं०- 10/स्था०-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं०-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री अविनाश कुमार (कोटि-ठब्.प्प), पिता- श्री किस्मत मेहता, स्थायी पता- बाईपास रोड, आई०बी०पी० पेट्रोल सुदना के निकट, डालटनगंज, जिला-पलामु, झारखण्ड-822102 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे०- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे०- मैट्रिक्स लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (त्मसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**

सरकार के संयुक्त सचिव

## **पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**

-----

**अधिसूचना**

14 नवम्बर, 2022

**अधिसूचना सं0- 10/स्था0-01-07/2022--**संयुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं0-05/2019) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड हेतु अनुशंसित श्री राजेश कुमार गोंड (कोटि-ैज), पिता- श्री संतोष प्रसाद गोंड, स्थायी पता- ग्राम-सोनपुरवा, वार्ड नं0-16, पो0+थाना+जिला-गढ़वा, झारखण्ड-822114 को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के मूल कोटि के वेतनमान (9300-34800/- ग्रेड पे0- 5400/- सप्तम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान पे0- मैट्रिक्स

लेवल-09) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अधीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है ।

1. परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की होगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि बढ़ाया जा सकता है ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी ।
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से एक माह के भीतर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची में योगदान करना अनिवार्य होगा ।
4. विभाग में योगदान करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
5. योगदान समर्पित करते समय (प) दहेज नहीं लेने-देने के संबंध में शपथ-पत्र (पप) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा विहित प्रपत्र में (पपप) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. योगदान समर्पित करते समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण-पत्र वैद्य हैं तथा आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक/फौजदारी/न्यायिक मामला लंबित नहीं है ।
7. समर्पित प्रमाण-पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जायेगी ।
8. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (तमसपमअपदह व्तकमत) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति (यदि पूर्व से नियोजित हों) अनिवार्य रूप से समर्पित करना आवश्यक होगा ।
9. चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्व वृत सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पशुपति नाथ मिश्र,**  
सरकार के संयुक्त सचिव

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KSHITIJ KUMAR अन्य नाम KSHITIJ पिता SANJAY KUMAR RAO, शपथ पत्र सं० 173, दिनांक 9 जून, 2022 के अनुसार KSHITIJ KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा ।

KSHITIJ KUMAR एवं KSHITIJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL.- DUBCHANCHAR,  
P.O.- PHULCHUA,  
P.S. - CHITRA,  
DIST.- DEOGHAR,  
JHARKHAND.

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SANJEEV KUMAR AGRAWAL अन्य नाम SANJEEV AGRAWAL पिता Late DURGA PRASAD AGRAWAL, शपथ पत्र सं० 616, दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 के अनुसार SANJEEV KUMAR AGRAWAL के नाम से जाना जाऊँगा ।

SANJEEV KUMAR AGRAWAL एवं SANJEEV AGRAWAL दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - MOHALLA NAWAHATA,  
NEAR HIRA MANDIR,  
P.S. - DALTONGANJ,  
DIST.- PALAMU,  
JHARKHAND.

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SAMLA KERKETTA, अन्य नाम MANGARI KUMARI पिता Late DAMU KERKETTA, शपथ पत्र सं० 17, दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के अनुसार SAMLA KERKETTA के नाम से जानी जाऊँगी।

SAMLA KERKETTA एवं MANGARI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- HURHURI,  
P.O.- SILAGAIN,  
P.S. - CHANHO,  
DIST.- RANCHI,  
JHARKHAND.

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं DILIP KUMAR अन्य नाम BIRBAL DANGI पिता Late DWARIKA SINGH, शपथ पत्र सं० 6146, दिनांक 17 अगस्त, 2022 के अनुसार DILIP KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।

DILIP KUMAR एवं BIRBAL DANGI दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- SONPURA,TOLA MATLONGA,  
P.O.- BALIYARI,  
P.S. - TARHASI,  
DIST.- PALAMU,  
JHARKHAND.

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RITIKA SINHA, अन्य नाम SAKSHI SINHA पिता SRI PANKAJ KUMAR, शपथ पत्र सं० 1435, दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के अनुसार RITIKA SINHA के नाम से जानी जाऊँगी।

RITIKA SINHA एवं SAKSHI SINHA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF -        INDRAPURI, ROAD NO.- 03,  
                              RATU ROAD,  
                              P.O.- HEHAL,  
                              P.S. - SUKHDEONAGAR,  
                              DIST.- RANCHI,  
                              PIN - 834005  
                              JHARKHAND.

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं HIRDAYA NAND PRASAD अन्य नाम HARIDAYANAD PRASAD पिता CHANA PRASAD, शपथ पत्र सं० 46, दिनांक 8 जुलाई, 2022 के अनुसार HIRDAYA NAND PRASAD के नाम से जाना जाऊँगा।

HIRDAYA NAND PRASAD एवं HARIDAYANAD PRASAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF -    VILL.- CHUTIA,  
                              P.O.& P.S. - CHUTIA,  
                              DIST.- RANCHI,  
                              PIN - 834001  
                              JHARKHAND.

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SADHNA DEVI, अन्य नाम SADHNA MISHRA पति SUNIL MISHRA, शपथ पत्र सं० 218, दिनांक 8 अक्टूबर, 2022 के अनुसार SADHNA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

SADHNA DEVI एवं SADHNA MISHRA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- GARI HOTWAR HATWAL,  
RANCHI,  
PIN - 835217  
JHARKHAND.

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BOBY BURMAN, अन्य नाम BABY BURMAN एवं BOBY KUMARI पति AJAY PRAKASH BURMAN, शपथ पत्र सं० 1104, दिनांक 16 सितम्बर, 2022 के अनुसार BOBY BURMAN के नाम से जानी जाऊँगी।

BOBY BURMAN, BABY BURMAN एवं BOBY KUMARI तीनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - NAYASARAI MURMA,  
P.O.- MURMA NAYASARAI,  
P.S. - NAGRI,  
DIST.- RANCHI,  
JHARKHAND.

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं NIRVANYA, अन्य नाम PRIYA JAISWAL पिता DANI LAL JAISWAL, शपथ पत्र सं० 364, दिनांक 3 सितम्बर, 2022 के अनुसार NIRVANYA के नाम से जानी जाऊँगी ।

NIRVANYA एवं PRIYA JAISWAL दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - 132, ASTER, PHASE - I,  
VIJAYA GARDEN, BARIDIH,  
P.O.- BARIDIH,  
P.S. - BIRSANAGAR, TOWN JAMSHEDPUR,  
DIST.- EAST SINGHBHUM,  
JHARKHAND.

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं DHIRAJ SAW अन्य नाम GOLU KUMAR पिता SANJEEVAN SAW, शपथ पत्र सं० 6, दिनांक 20 सितम्बर, 2022 के अनुसार DHIRAJ SAW के नाम से जाना जाऊँगा ।

DHIRAJ SAW एवं GOLU KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - H. NO.- 5, BHOJPUR COLONY,  
BARIDIH BASTI, JAMSHEDPUR,  
P.S.- SIDHGORA, EAST SINGHBHUM,  
PIN - 831017  
JHARKHAND.

-----

प्रकाशनार्थ सूचना

शुद्धि पत्र

मैं BALIKA ROY अन्य नाम BELUGHAT ROY पति Late AGHAN ROY, शपथ पत्र सं० 3667, दिनांक 24 मार्च, 2022 के अनुसार BALIKA ROY के नाम से जानी जाऊँगी ।

BALIKA ROY एवं BELUGHAT ROY दोनों एक ही महिला का नाम है ।

**NOTE-** गज़ट संख्या - 25, दिनांक 10 अगस्त, 2022 को इस हद तक संशोधित पढ़ा जाये ।

RESIDENT OF - VILL.- MADHURAIIDIH,  
P.O. - BENAGORIA,  
P.S. - NIRSA,  
DIST.- DHANBAD,  
PIN - 828205  
JHARKHAND.

-----